IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कश्मीर समस्याः भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियॉ और संभावित हल

डॉ0 अरविन्द कुमार
एसो0 प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान
वीरभूमि राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, महोबा।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

अपने प्राकृतिक सौन्दर्य सुरम्य भौगोलिक स्थिति, सुन्दर शालीन लोग तथा झील–झरनों के कारण जम्मू–कश्मीर का भू–भाग "A Garden of Ethereal Spring" के रूप में जाना जाता है और साथ ही जम्मू–कश्मीर के पर्यटन केन्द्र होने के कारण यह देश–विदेश में हमेशा चर्चा का विषय रहा है। आज यह हिंसा–प्रतिहिंसा और आतंकवाद के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। एक समय था जब कश्मीर घाटी पहुँचना देश–विदेश के पर्यटकों और अध्येताओं का सुन्दर सपना होता था। पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर गर्मी के महीनों में पर्यटकों से भर जाते थे। लेकिन सन् 1988–89 के बाद हालात कुछ ऐसे बदले कि श्रीनगर के हाउसवोट गर्मियों में भी सुनसान पड़े रहने लगे। जम्मू–कश्मीर का क्षेत्रफल (2,22,236 वर्ग किमी) लगभग सवा दो लाख वर्ग किमी है। इसका एक हिस्सा (क्षेत्रफल 78,114 वर्ग किमी) पाकिस्तान के कब्जे में है। इसका मुख्य शहर मुजफ्फराबाद है। सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से जम्मू–कश्मीर के प्रमुख तीन संभाग हैं–जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख। विशुद्ध भौगोलिक दृष्टि से सूबे को चार क्षेत्रों में बांटा गया है–

1. कांडी क्षेत्र।
2. शिवालिक श्रृंखला।
3. क"मीर घाटी एवं पीरपंजाल श्रृंखला।
4. लद्दाख।

कश्मीर नदियों, पहाड़ों, घाटियों, झीलों और झरनों का क्षेत्र है। कश्मीर के इस अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण ही इसे ''पृथ्वी का स्वर्ग'' कहा जाता है। जम्मू–कश्मीर के उत्तर–पश्चिम में अफगानिस्तान उत्तर–पूर्व में चीन (सिक्यांग प्रान्त) और पूर्व में तिब्बत स्थित है। कश्मीर हिमालयी पर्वतीय व्यवस्था द्वारा दो भागों में बहुत ही वि"ाद रूप से क्षेत्रफल, जलवायु तथा जनसंख्या में विभाजित है।

चारों तरफ से हिमाच्छादित उत्तुंग शिखरों से घिरी झेलम की सुन्दर घाटी कश्मीर की आत्मा है। राजधानी श्रीनगर एक प्राचीन और प्रख्यात नगर है। जिसके बीच से झेलम नदी बहती है। कश्मीर को झेलम की घाटी भी कहा जाता है। कश्मीर के लिए झेलम महज एक नदी ही नहीं है।

यह इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की सबसे खूबसूरत और प्रवाहमान धरोहर भी है। यह वेरिनाग से होकर निकलती है। प्राचीन काल में इसे हिदास्पस कहा जाता था। हिन्दू शासन काल में इसका नाम वेदस्ता था। कश्मीरियों के बीच यह वेथ नाम से लोकप्रिय रही है। वारामूला के बाद इसे काशूरदरिया कहते रहे हैं। जब किशनगंगा से मिलकर आगे प्रवाहित हुई तो इसका नाम झेलम पड़ा।

कश्मीर घाटी में तीन बड़ी झीलें डल, बुलर और मानसबल है। कश्मीर घाटी के लोगों की आय और जीविका का प्रमुख साधन कृषि, पर्यटन और फल उत्पादन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू–क"मीर में ग्रामीण आबादी (72.79 फिसदी) का लगभग 80 फीसदी हिस्सा कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। शहरी आबादी का अनुपात 27.20 फिसदी है। जम्मू–कश्मीर राज्य की कुल आय में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है। जम्मू–कश्मीर के लगभग 7,50.000 हेक्टेयर क्षेत्र कृषि हेतु उपयोग में लायी जाती है।यहाँ की प्रमुख फसल चावल, बाजरा, ज्वार, जौ और गेंहू है। फलों में सेब, अखरोट, बादाम, नाशपाती, बब्बूगोशा और खूबानी यहॉ विशेष रूप से पैदा होता है। कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में केसर की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। पम्पोर इसका मुख्य केन्द्र है। झीलों, झरनों और नदियों की अप्रतिम घाटी की तरह ही कश्मीरी लोग भी बेहद काव्यात्मक, सुन्दर, सभ्य, शालीन और सहिष्णु रहे हैं। प्राचीन समय से ही यहां कई धर्मों के मतावलंबी एक साथ रहते रहे हैं। जम्मू डिवीजन में पहाड़, मैदान और पथरीले पठार हर तरह के क्षेत्र हैं। जम्मू शहर के आसपास के इलाकों में हिन्दू आबादी अधिक है तो राजौरी, पूँछ और डोंडा जिले में मुसलमान आबादी अधिक है। जम्मू डोगराओं का मुख्य राजनीतिक और शासकीय केन्द्र रहा है। इसे प्राचीन काल में रघुवंशी राजा जाम्बुलोचन ने बसाया था। उसी के नाम पर इसका नाम जम्बू और बाद में जन्मू पड़ा। तवी नदी के किनारे पर अवस्थित होने के कारण इसे जम्मू तवी भी कहा जाता है। जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। वैष्णव देवी मंदिर जम्मू के कटरा पहाड़ियों पर बना है।

अपने प्राकृतिक सौन्दर्य, चीड़, देवदार के घने जंगल, नदियों और झरनों के कारण इस क्षेत्र को ''मिनी कश्मीर'' कहा जाता है। जम्मू–कश्मीर राज्य का तीसरा सम्भाग लद्दाख है। 'दुनिया की छत' कहे जाने वाले लदाख में कारगिल, लेह और जंसकार के इलाके अपने अप्रतिम सौन्दर्य और भौगोलिक व सामरिक महत्व के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनकी एक सरहद चीन और दूसरी पाकिस्तान से मिलती है। ऊँची और हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं, दुर्गम दर्रों और अपनी बहुरंगी संस्कृति के कारण यह इलाका देशी–विदेशी पर्यटकों, शोधार्थियों और पर्वतारोहियों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र रहा है। इसका प्रमुख नगर केन्द्र लेह है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 77,18,000 थी।

2001 की जनगणना के अनुसार जम्मू–कश्मीर राज्य की आबादी 10,143,700 (53,609,26 पुरुष आबादी और 47,82,774 महिला आबादी है) तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू–क"मीर की आबादी 12,267,013 (पुरुष 6.8 मिलियन और स्त्री 5.78 मिलियन एवं अनुपात 1000 पुरुष/889 महिला) है।

यहां अनुसूचित जाति लगभग 924,485 (7.54 प्रति"ात) अनु0 जनजाति 18 प्रति"ात है, जिनमें वि"ोषकर अनु0 जाति जम्मू क्षेत्र में निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व 290 प्रतिवर्ग किमी. है। जम्मू डिविजन में हिंन्दू 67.5 प्रति"ात और मुस्लिम 30 प्रति"ात जनसंख्या निवास करती है। जम्मू संभाग के 5 जिलों–

1. राजौरी 63 प्रति"ात।
2. पूंछ 90 प्रति"ात।
3. डोडा 54 प्रति"ात।
4. किस्तवार 58 प्रति"ात।
5. रामबन 71 प्रति"ात में मुस्लिम बहुमत है, जबकि–

1. कठुआ 88 प्रति"ात।
2. सांबा 86 प्रति"ात।
3. जम्मू 84 प्रति"ात।
4. उधमपुर 63 प्रति"ात।

में हिंदू बहुमत है। जम्मू संभाग के रियासी जिले में हिंदू और मुसलमान धर्मावलम्बियों का अनुपात बराबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू–क"मीर में निम्नलिखित भाषा–भाषी लोग रहते हैं–

1. क"मीरी 53 प्रति"ात।
2. डोगरी 20 प्रति"ात।
3. गोजरी 9.1 प्रति"ात।
4. पहाड़ी 7.8 प्रति"ात।
5. हिंदी 2.4 प्रति"ात।
6. पंजाबी 1.8 प्रति"ात, एवम्

अन्य(Balti, Bateri, Bhadarwahi, Brokskat, Changthang, Ladakhi, Purik, Sheikhgal, Spiti Bhoti and Zangskari Languages) भाषा बोलने वाले लोगों का प्रति"ात 5.38 है। इसके अतिरिक्त कई अन्य भाषाएं जैसे कि, भट्टियाली, चंबेली, चुराही, गद्दी, हिंदको एवं लाहुल लोहार जो वि"ोषकर पड़ोसी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा हैं, जम्मू और क"मीर के समुदायों द्वारा भी बोली जाती है।

जबकि वि"ोषकर क"मीर क्षेत्र में क"मीरी भाषा के साथ ही ऊर्दू भी व्यापक रुप से बोली व समझी जाती है तथा अंग्रजी के साथ f"ाक्षा के माध्यम के रुप में भी कार्य करती है। f"ाक्षा के क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और क"मीर में साक्षरता दर 67.17 प्रति"ात है जिनमें पुरुष साक्षरता 75 प्रति"ात जबकि महिला साक्षरता की दर 56.43 प्रति"ात है। जम्मू और लेह के मुकाबले कश्मीर घाटी के जिलों की साक्षरता दर अभी भी बहुत ही कम है। कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी लगभग 94 प्रतिशत है।

कश्मीर समस्या

अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान ब्रिटि"ा आधिपत्य से आजाद होकर दो स्वतंत्र राष्ट्र के रुप में भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लिये। पाकिस्तान का निर्माण भारत विभाजन के फलस्वरुप हुआ जो अंग्रेजी प्रशासन की 'फूट डालो एवं राज करो' की नीति का परिणाम था। स्वाधीनता के बाद ऐसा सोचा गया कि दोनों राष्ट्र अपनी आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का निदान करते हुए प्रेम एवं शांति का वातावरण इस महाद्वीप में बनाये रखेंगे। महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरु ने यह विचार रखा था कि आजादी के बाद हम शांति एवं प्रेम के लिए प्रयास करेंगे, जिसका उत्तर जिन्ना ने भी इन्हीं शब्दों में दिया और कहा कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों से मित्रता एवं शांति का निर्वाह करेंगे। परन्तु आज लगभग 75 साल का बीता हुआ इतिहास इन बातों का साक्षी नहीं

बन पाया है। यद्यपि दोनों देशों के कुछ नेताओं के प्रयासों से अल्पसंख्यकों की समस्या, जल विवाद एवं सीमा सम्बन्धित कुछ मुद्दों का निराकरण किया गया परन्तु भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों का इतिहास निरा"ा करने वाला ही रहा है। ऐसा लगता है कि इनमें प्रेम और शांति की स्थापना असम्भव हो गया है।

अतीत में झांककर जब हम देखते हैं तो इसके पीछे ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण खुलकर सामने आते हैं। सबसे पहला कारण तो भारत का अनुचित (धार्मिक आधार पर) बटवारा था। जहां धर्म का सहारा लेकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया गया। दूसरा कारण अगर देखा जाय तो अनियोजित बटवारा था जहां बटवारे से पहले न उचित व्यवस्था की गई न तो पूर्ण रुप से बटवारे की योजना तैयार की गई। लार्ड माउण्टबेटेन, लार्ड रेडक्लिफ एवं जस्टिस बेज़ ने अपने कंधों से ब्रिटि"ा शासन के आदेशों का पालन करते हुए एक बोझ उतारा और बिना किसी योजना के बंटवारा कर दिया। लेकिन इसका परिणाम आज तक भारतीय उपमहाद्वीप के लोग झेल रहे हैं। यही नहीं पाकिस्तान के निर्माण के बाद पाकिस्तान में सैनिक शासन का आगमन, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, मनमानेपूर्ण मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण आदि मुद्दे भी इन सम्बन्धों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। यद्यपि ताशकंत एवं शिमला समझौता के द्वारा दोनों देशों ने अपनी समस्याओं का समाधान मिल–बैठकर निश्चित किया है परन्तु ऐसा व्यवहार में दिखाई नहीं देता है। सन 1989 के अंत में पाकिस्तान द्वारा समर्थित हिंसा के साथ आतंकवाद और अलगाववाद में गुणात्मक वृद्धि 1991 के दौर में अपने चरम पर थी। विदेश मंत्रालय मूल रूप से जम्मू एवं कश्मीर से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में तीन कार्य सम्पन्न किये जाने थे–

1. इस मुद्दे का क्रियात्मक या संस्थागत अंतर्राष्ट्रीयकरण को रोकना, अतः इसके कारण कश्मीर भारत से अलग हो सकता है।
2. कश्मीर पर भारत के पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के सामने द्विपक्षीय स्तर पर प्रस्तुत करना।
3. गृह मंत्री और जम्मू–कश्मीर सरकार (अनु0 370 सं"ाोधन के प"चात परिवर्तित संदर्भ में) के साथ सम्पर्क में रहना ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाओं से अवगत रहें और प्रामाणिक सूचनाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पक्ष पर जोर डाला जा सके।

सन 1991 से 1999 की अवधि के दौरान कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रवृत्ति को इस प्रकार देखा जा सकता है–

1. जम्मू एवं क"मीर पर भारत के भौगोलिक दावों की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता को नजरंदाज करते हुए अधिकांश विश्व ने इस राज्य को भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र माना है।
2. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रूचि भारत के मामले में औचित्य या जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों के कल्याण में बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि यह विवाद के द्वारा भारत–पाकिस्तान की टक्कर सैन्य संघर्ष के साथ परमाणु विनाश में न बदले।
3. अधिकांश इस्लामी देशों (सउदी अरब और तुर्की को छोड़कर) ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान के हस्तक्षेप और अलगाववादी संगठनों को सहयोग देने की बात स्वीकार की।

सन 1991 से क"मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी नीतियों में एक दिलचस्प परिवर्तन आया है। यह महसूस करते हुए कि जातीय–धार्मिक आधार पर कश्मीर को भारत से अलग करने की नीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्वीकार नहीं की जायेगी, पाकिस्तान ने आत्मनिर्णय के सिद्धान्तों के आधार पर जम्मू–कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की। ऐसा अलगाव, राज्य में मानवाधिकार के उल्लंघन के एक सुधार के रूप में प्रस्तावित किया गया। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि राज्य का भारत में विलय अप्रमाणिक व अवैधानिक रूप से किया गया है जो कि भारत के विभाजन के समय लोगों के निर्णय को महत्व देने की बात को स्वीकार किया गया था।

समाधान सम्बन्धी पाकिस्तान एवम् भारतीय पक्ष

भारतीय संसद और जनमत दोनों इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर निपटाने के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न विचार रखते हैं। इनमें से एक विचारधारा यह थी कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–370 को निरस्त कर दिया जाए, जिनके आधार पर कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए है। साथ ही घाटी के संयोजन को परिवर्तित किया जाए। हालांकि अनुच्छेद–370 को निरस्त करने सम्बन्धी मामले को 6 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा जम्मू एण्ड क"मीर रिआर्गेनाइजे"ान ऐक्ट–2019 पारित कर समाधान कर लिया गया है। इसके इतर अन्य विचारधारा के लोग जम्मू–कश्मीर हेतु और अधिक स्वायत्तता चाहते है। भारत की कश्मीर समस्या के प्रति इस प्रकार के अनिश्चितता पूर्ण स्थिति का लाभ पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों ने भी पूर्णरूपेण उठाया, विशेषकर बाहरी सहयोग तथा मध्यस्थता स्वीकार करने के हेतु मानवाधिकार को लेकर दबाव डालें।

साथ ही जम्मू एवं कश्मीर में अलगावादी व आतंकवादी तत्वों को पाकिस्तानी सहयोग समाप्त करने सम्बन्धी उपायों के सन्दर्भ में भिन्न–भिन्न मत रखते थे। इसके अतिरिक्त एक बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा भी था जो इस विवाद के सन्दर्भ में एक सुरक्षात्मक और क्रियात्मक भूमिका की वकालत कर रहा था। एक वर्ग ऐसा भी था जो युद्ध को पाक अधिकृत कश्मीर तक ले जाने की वकालत कर रहा था और आवश्यकता पड़ने पर आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने हेतु पाकिस्तानी क्षेत्र पर भी आक्रमण करने से उन्हें कोई परहेज नहीं था। भारतीय विदेश मंत्रालय कश्मीर नीति से सम्बन्धित स्थायी उत्तरदायित्वों के बजाए कृत्रिम प्रयासों में अधिक रुचि रखता था। विशेषरूप से केन्द्र सरकार का मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को यथासम्भव रोकना था। विदेश मंत्रालय का एक विशेष उद्देश्य पाकिस्तान के प्रचार का प्रतिरोध करना था। इस कार्य को भारत विभिन्न देशों की सरकारों को अपने पक्ष की वैधता पर विश्वास दिलाना एवं विभाजन के धार्मिक–जातीय आधार सम्बन्धी विकृतियों को सामने रखना था, जो कि काश्मीर राज्य के अलग होने की स्थिति में दक्षिण एशिया के राष्ट्रों को प्रभावित कर सकते हैं। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा In the Line of Fire; London Simon & Schuster UK, Ltd, 2006. में लिखा है कि हमारे द्विपक्षीय सम्बन्ध पहले की अपेक्षा काफी मधुर हुए है, और मैं इस बात को पुनः दुहराता हूँ कि (Conflict Management) संघर्ष प्रवन्धन का समय समाप्त हो चुका है और अब संघर्ष निवारण (Conflict Resolution) या समाधान का समय आ चुका है। वर्तमान में हम दो समानान्तर पथ पर अग्रसर हैं। प्रथम Confidence Buildings Measures (CBMs) और दूसरा Conflict Resolution (संघर्ष निवारण)। मुशर्रफ के इन दो सुझावों के अतिरिक्त एक अन्य सुझाव यह दिया जाता है कि, जिस प्रकार से भारत–चीन सीमा विवाद के सम्बन्ध में चीनी नेता देंगश्यावो पिंग ने कहा था कि, भारत और चीन को पहले अन्य क्षेत्रों में रिश्ते सुधारने चाहिए और जब आपसी विश्वास पैदा हो जाए तब सीमा विवाद का प्रश्न लेना चाहिए। अतः भारत सरकार चाहती है कि, ये दोनों देश (भारत व पाकिस्तान) सर्वप्रथम अन्य क्षेत्रों में रिश्ते सामान्य बनाये, तत्पश्चात् कश्मीर विवाद को हल करने हेतु आगे आएं।

कश्मीर समस्या के समाधान के सम्बन्ध में वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक प्रेम शकर झा (नवभारत टाइम्स 11 जनवरी, 2004, विश्वास से मुमकिन है टाईरोल जैसा हल) का विचार है कि, जहाँ तक कश्मीर समस्या के समाधान के सम्भावित शक्ल का सवाल है, पहले यह देखना आवश्यक है कि, किस तरह के समाधान अब तक सुझाए गये हैं? दोनों सरकारों की मौजूदा आधिकारिक परिस्थितियों ऐसी है कि उनके रहते किसी भी समाधान की आशा करना निरर्थक होगा। पाकिस्तान कश्मीर को वर्ष 1947 से अधूरा पड़ा काम मानता है और वहीं जनमत के आधार पर क"मीर समस्या के समाधान की बात करता है तथा इस संम्बन्ध में 1947 में नेहरु द्वारा संयुक्त राष्ट्र में क"मीर को पाकिस्तान में शामील करने की इच्छा जो कि सन् 1947 के बाद बहुत लम्बा वक्त गुजर चुका है और भू–राजनीति सामरिक दृष्टि से पूर्णतया परिवर्तित को चुका है, उपरोक्त दोनों ही दावे अब अव्यवहारिक हो चुके

हैं। वास्तव में आजाद कश्मीर भी भारत का ही अविभाज्य अंग है, क्योंकि महाराजा हरिसिंह ने The Indian Independence Act–1947 के तहत् भारत के साथ रहना कबूल किया था।

निष्कर्ष एवं सुझाव

क"मीर समस्या के सम्बन्ध में अन्य अनेक विद्वानों ने अपने पक्ष रखे हैं। प्रेम शंकर झा के अनुसार, कश्मीर समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम मुश्किल मुद्दों को पीछे रखकर आसान व सरल मुद्दों को सुलझाना शुरु किया जाये तथा दोस्ती का एक–एक कदम बढ़ाया जाये। इसके पश्चात् टाइरोल की तर्ज पर आगे बढ़ा जाए (टाइरोल जर्मन भाषी लोगों का एक ट्रांस–अल्पाइन इलाका है जिसका एक हिस्सा आस्ट्रिया और दूसरा इटली में पड़ता है। वर्ष 1918 में आस्ट्रो–हंगारी साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिणी–टाइरोल इटली के कब्जे में आ गया और तब से आस्ट्रिया का इटली के साथ विवाद रहा। परन्तु यूरोपीय समुदाय के गठन से काफी पहले ही आस्ट्रिया और इटली ने अपने टाइरोल नामक इस नासूर को अपनी ताकत के रूप में तब्दील कर लिया था)। वर्तमान में दक्षिणी–टाइरोल इटली में रहते हुए काफी हद तक स्वायत्त है। जिसके अपने चुनाव होते हैं, और उसके अपने कानून है। उत्तरी–टाइरोल से कम्यूनिकेशन की उसे पूरी आजादी है। उसकी आसाधारण टैक्स रियायतें उसे उद्योगों का केन्द्र बना चुकी है। सारे यूरोप के लोग वहाँ बेरोक–टोक आ जा सकते हैं, इस तरह से आस्ट्रिया भी खुश है और इटली भी और साथ ही उत्तरी–टाइटोल आस्ट्रिया का और दक्षिणी टाइरोल इटली का अंग भी बना हुआ है।

इसीतरह सर्वप्रथम भारत व पाकिस्तान को आपसी विश्वास कायम करना होगा। तत्पश्चात् मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना होगा तभी इस प्रकार के समाधान उभर सकेंगे। अतः भारत का कश्मीर मुद्दे के समाधान पर यह विचार है कि, कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान हेतु पाकिस्तान में राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य है। पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ ही साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए सहायक होगी। साथ ही पाकिस्तान को अपने सम्बन्ध विशेषकर अफगानिस्तान एवं भारत के साथ मधुर बनाने का वातावरण तैयार करना होगा तथा इन दोनों देशों में प्रायोजित छद्मयुद्ध को बन्द करना होगा। पाकिस्तानी सेना को अपने व्यक्तित्व जो कि स्वयं घरेलू स्तर पर भी खराब हो चुका है, को सुधारना होगा। अंत में भारत और पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे पर प्रस्तुत विचारों के आधार पर एक यथार्थवादी समाधान यही हो सकता है कि दोनों देशों को स्थापित नियंत्रण की सीमा (Line of Control) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करना होगा। तत्पश्चात् दोनों देशों को अपने–अपने अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग को स्वायत्तता प्रदान करनी होगी। कश्मीर के दोनों भागों को एक दूसरे के साथ (कम्यूनिकेशन) संचार की पूर्ण सुविधा देनी होगी। दोनों क्षेत्रों को कर–मुक्त सुविधा देकर वहाँ उद्योग एवं पर्यटन को आकर्षित करना होगा जिससे कि, उसका पूर्णरूपेण विकास हो सके। परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जो कश्मीरियों को सुखी और समृद्ध तथा भयमुक्त बनाने का है पूर्ण हो सकेगा। 6 अगस्त, 2019 को अनु0 370 को निरस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया और 1954 के राष्ट्रपति के आदे"ा को निलंबित करके अनु0 35ए को समाप्त कर दिया गया। साथ ही जम्मू एण्ड क"मीर रिआर्गेनाइजे"ान ऐक्ट–2019 भारतीय संसद में पारित कर जम्मू क"मीर को दो केंद्र"ाासित प्रदे"ाों (पूर्व में लद्दाख और पं"चम में शेष जम्मू और क"मीर क्षेत्र) में विभक्त कर दिया गया। यह अधिनियम कानून के रुप में 31 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी हो गया। जम्मू और क"मीर केंद्र शासित प्रदे"ा भारत के संविधान के अनु0 239 के प्रावधानों के तहत् प्र"ाासित है।

तथा अनु0 239ए जो मूलरुप में पुडुचेरी (केंद्र "ाासित प्रदे"ा) के लिए प्रावधानित है, जम्मू–क"मीर पर भी प्रभावी है।

केंद्र सरकार ने इस सम्बन्ध में आ"ाान्वित रही है कि, इस निर्णय से आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण लगेगा। परन्तु इस क्षेत्र में घटित अन्य आतंकवादी गतिविधियों के अतिरिक्त हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना (22 अप्रैल, 2025 को) ने भारतीय मं"ाा पर पानी फेर दिया है। हालांकि 2023–24 में गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी एवं उग्रवादी हमलों में लगातार कमी आई है। साथ ही, पर्यटन और अन्य अवसंरचना के विकास से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इससे यह केंद्र शासित प्रदेश राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि, ये हालिया हमले जम्मू और कश्मीर की विकास यात्रा को पटरी से उतारने तथा भारत के अन्य हिस्सों में भी सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए किए गए थे। जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेवार कारकों में पाकिस्तान का प्रॉक्सी युद्ध जैसें कि पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां लश्कर–ए–तैयबा (LeT), जैश–ए–मोहम्मद (JeM) हिजबुल मुजाहिदीन (HM) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) जैसे आतंकी समूहों को प्रशिक्षण, हथियार, सुरक्षित ठिकाने एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती हैं। पाकिस्तान इन आतंकी समूहों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपने हाइब्रिड युद्ध के हिस्से के रूप में करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असहमति और असंगत अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान को बिना किसी महत्वपूर्ण दंडात्मक कार्रवाई के छद्म युद्ध जारी रखने में सक्षम बनाता है।

उदाहरणस्वरुप चीन अक्सर संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर जैसे पाकिस्तान स्थित गैर–राज्य अभिकर्त्ताओं को आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध होने से बचाने के लिए वीटो का उपयोग करता रहा है। घुसपैठ को सुगम बनाने वाली भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर दुर्गम भूभाग होने के कारण सीमाओं को पूरी तरह से सील करना मुश्किल हो जाता है। इससे आतंकवादियों और हथियारों की आवाजाही को बढ़ावा मिलता है। अतः इन चुनौतियों को हल किये बिना क"मीर समस्या का समाधान कठिन होगा।

सन्दर्भ सूची :–

1. उर्मिलेश, कश्मीर ; *रियासत एवं सियासत,* ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2007।
2. झां प्रेम शंकर; *विश्वास से मुमकिन है टाइरोल जैसा हल,* नई दिल्ली, नवभारत टाइम्स, (डेली) 11 जनवरी 2004.
3. सरकार, सुमित; *आधुनिक भारत,* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली. 2006।
4. लारेंस, वॉल्टर आर., *द वैली ऑफ कश्मीर,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1895।
5. मधुसूदन, आनन्द, *''यही समाधान हो सकता है,''* नई दिल्ली, (निहितार्थ) नवभारत टाइम्स (हेली) 11 जनवरी 2004.
6. Musharraf, Pervez; *"In the Line of Fire"*, Simons & Schuster, London,UK, 2006.
7. Census of India,1991, 2001& 2011.

8. Singh Rajkumar; *"Past, Present and Future of Kashmir"* Gyan Publishing House, New Delhi,2008.
9. Singh Sheo Bran & J P Bansal; *"Kashmir and Other Related Matters"* Oriental Publication House, Agra,1967.
10. Bains J.S; *India's International Disputes- A Legal Study*, Asia Publishing House, London,1962.
11. Menon, V P; *"The Transfer of Power in India"* Orient Longman Ltd, New Delhi,1968.
12. Burke, S M; *"Pakistan Foreign Policy: As Historical Analysis"* Oxford University Press, London, 1973.
13. Rizvi, Gowher;*"South Asia in Changing International order"* Sage Publication, New Delhi,1993.
14. Lamb Alastair and Kegam Paul; *"Crisis in Kashmir: 1947 "* Routledge, London, 1966.
15. Dixit, J N; *"India Pakistan Relation: In War and peace"* Prabhat Publication, New Delhi, 2004.
16. 16- https://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Jammu_and_Kashmir.